



Neutral Citation No. -2026:AHC:42073

ए.एफ.आर

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या - 5796/2023

दयानंद और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

मोहन उर्फ घुरे

..... प्रतिपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : विवेक सिंह श्रीनेत

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शुक्ला और प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक सिंह श्रीनेत की दलीलें सुनीं और अभिलेखों का अवलोकन किया।
- यह याचिका विचारण न्यायालय, अर्थात अपरसिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), न्यायालय सं.3, गोरखपुर द्वारा दिनांक 16.11.2022 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा वादपत्र में दायर संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका को भी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं.4, गोरखपुर द्वारा दिनांक 10.04.2023 को सिविल पुनरीक्षण सं. 124/2022 में पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि संशोधन द्वारा याचिकाकर्ता ने केवल राहत को अनिवार्य व्यादेश से बदलकर विवादित संपत्ति के कब्जे की प्रार्थना में परिवर्तित किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, जिसमें प्रतिवादियों को अपने निर्माण हटाने और वादी को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया था, और वादपत्र में मामूली सुधार किए गए हैं। उक्त आवेदन को इस आधार पर त्रुटिपूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया है कि आवेदन लंबे समय बाद दायर किया गया है और इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आदेश 6 के नियम 17 के परंतुक के मद्देनजर ऐसा संशोधन स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रस्तावित संशोधन वाद की प्रकृति को बदल देगा।

5. मैंने आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया है। याचिकाकर्ता द्वारा वादपत्र में मांगी गई राहत, जो पेपर बुक के पृष्ठ सं. 33 पर है, निम्नानुसार उद्धृत है:

"1- बसदूर डिग्री Mandatory Injunction प्रतिवादीगण को यह आदेश दिया जावे कि वे मकान जैल मुन्दर्जा लिस्ट (ग) मय नक्शा जो नक्शा लिस्ट (ख) जैल में भी बरंग हरा से प्रदर्शित है पर से अपना कब्जा दखल जो दखिनी पश्चिमी पहली मंजिल के कमरे पर एवं दूसरी मंजिल के पश्चिमी उत्तरी कमरे पर तनहा है व बकिया हिस्से पर वादी गण के साथ मुश्तर्का है को उठाकर मकान लिस्ट (ग) जैल पर तनहा कब्जा दखल वादीगण को दे देवे ।"

6. उक्त अनुतोष के स्थान पर संशोधन आवेदन के पृष्ठ सं. 39 में उद्धृत अनुतोष को प्रतिस्थापित/संशोधित करने का अनुरोध किया गया है, जो इस प्रकार है:

"यह कि बसदूर डिग्री दखल बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण को आदेशित कर दिया जावे कि वे मकान जैल मुन्दर्जा लिस्ट (ग) मय नक्शा जो नक्शा लिस्ट (ख) जैल वाद पत्र में बरंग हरा से दर्शित है पर से प्रतिवादीगण का कब्जा दखल जो दखिनी पश्चिमी पहली मंजिल के कमरे पर एवं दूसरी मंजिल के पश्चिमी उत्तरी कमरा पर से कब्जा दखल प्रतिवादीगण हटवाकर न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अन्दर वादीगण को जायदाद नजाई पर कब्जा दखल दिलवा दिया जाय। यदि प्रतिवादीगण न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अन्दर कब्जा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

दखल वादीगण को नहीं देते हैं तो उस सूरत में न्यायालय अमीन अथवा वकील कमिश्नर द्वारा कब्जा दखल दिलवा दिया जावे।"

7. मुझे मुकदमे की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं दिखता क्योंकि असल में मांगा गया अनुतोष वही है।

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का यह तर्क भी गलत है कि आदेश 6 के नियम 17 के परंतुक को देखते हुए, उक्त संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह मुकदमा 1997 का है, यानी संशोधन से पहले का है, इसलिए 'स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद बनाम टाउन म्युनिसिपल काउंसिल' (2007) 1 SCC 765 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, संशोधित प्रावधान इस मुकदमे पर लागू नहीं होगा। उक्त फैसले के पैराग्राफ सं. 5, 6, 7, 8 और 9 नीचे दिए गए हैं:

"5. संहिता के आदेश VI, नियम 17 में लिखा है:

"न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी पक्ष को अपने अभिवेदनों में इस प्रकार और ऐसी शर्तों पर परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति दे सकता है, जैसा कि उचित हो, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के निर्धारण के लिए आवश्यक हों।"

6. इसमें संलग्न परंतुक सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया था, जो 1.07.2002 से प्रभावी हुआ। यह परंतुक इस प्रकार है:

"बशर्ते कि विचारण प्रारंभ होने के बाद संशोधन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंचे कि उचित सावधानी बरतने के बावजूद, पक्षकार विचारण प्रारंभ होने से पहले इस मामले को नहीं उठा सकता था।"

7. वर्ष 2002 के संशोधन अधिनियम की धारा 16(2) इस प्रकार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"16(2) यद्यपि इस अधिनियम के प्रावधान लागू हो गए हों या उपधारा (1) के तहत निरसन प्रभावी हो गया हो, और सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना -

(क) *** **

(ख) प्रथम अनुसूची के आदेश VI के नियम 5, 15, 17 और 18 के प्रावधान, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 16 और इस अधिनियम की धारा 7 द्वारा हटाए गए हों या, जैसा भी मामला हो, जोड़े गए हों या प्रतिस्थापित किए गए हों, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1999 की धारा 16 और इस अधिनियम की धारा 7 के प्रारंभ होने से पहले दायर किसी भी याचिका पर लागू नहीं होंगे;"

8. उक्त प्रावधान के मद्देनजर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूंकि मुकदमा वर्ष 1998 में दायर किया गया था, इसलिए संहिता के आदेश VI, नियम 17 का परंतुक लागू नहीं होगा।

9. उच्च न्यायालय ने उक्त परंतुक पर भरोसा करते हुए यह राय दी कि इसके मद्देनजर वादी को यह साबित करना होगा कि उचित सावधानी बरतने के बावजूद वह मुकदमे की सुनवाई शुरू होने से पहले इस मामले को नहीं उठा सका। उक्त प्रावधान पर भरोसा करने में उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अवैधता किया है।"

9. सर्वोच्च न्यायालय ने संपथ कुमार बनाम अय्याकन्नू और अन्य के मामले में (2002) 7 एससीसी 559 में यह माना है कि संशोधन के लिए आवेदन दाखिल करने में देरी स्वयं आवेदन को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती। संपथ कुमार बनाम मामले के फैसले के पैराग्राफ सं. 9 में, अय्याकन्नू (उपरोक्त) का हवाला देते हुए कहा गया है:-

"9. सि.प्र.सं. के आदेश 6 नियम 17 के तहत न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी पक्ष को कार्यवाही के किसी भी चरण में और उचित शर्तों पर अपने अभिवेदनों में परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति दे। ऐसे संशोधन जो पक्षों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों को प्रस्तुत करने और उनका निर्धारण करने के उद्देश्य से किए गए हों, उन्हें करने की अनुमति दी जाएगी। संशोधन के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लिए आवेदन प्रस्तुत करने में देरी का प्रश्न केवल वाद की संस्थापना तिथि से अवधि की गणना करके नहीं, बल्कि वाद की सुनवाई किस चरण तक आगे बढ़ी है, इसके संदर्भ में तय किया जाना चाहिए। मुकदमे से पहले किए गए संशोधनों को मुकदमे की शुरुआत के बाद या उसके समापन के बाद किए जाने वाले संशोधनों की तुलना में अधिक उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है। पहले मामले में आम तौर पर यह माना जा सकता है कि प्रत्यर्थी को कोई हानि नहीं होती है क्योंकि उसे वादी के संशोधित मामले का जवाब देने का पूरा अवसर मिलेगा। बाद के मामलों में, विरोधी पक्ष को होने वाली हानि का प्रश्न उठ सकता है और इसका उत्तर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में दिया जाना चाहिए। कोई निश्चित सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। नीचे। तथ्य यह है कि मात्र विलंब संशोधन के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।

10. मेरी राय में, चुनौती दिए गए आदेश मान्य नहीं हैं, इसलिए विचारण न्यायालय यानी अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), न्यायालय सं. 3, गोरखपुर द्वारा दिनांक 16.11.2022 को पारित आदेश और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं. 4, गोरखपुर द्वारा सिविल रिवीजन सं. 124/2022 में दिनांक 10.04.2023 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस नहीं भेज रहा हूँ। याचिकाकर्ता द्वारा दायर संशोधन आवेदन, पेपर सं. 140 क-2, स्वीकार किया जाता है। याचिकाकर्ता को आदेश की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया जाता है।

12. चूंकि यह मुकदमा वर्ष 1997 का है, इसलिए यह अपेक्षा की जाती है कि विचारण न्यायालय, अर्थात् अपर सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी) न्यायालय सं. 3, गोरखपुर, उपरोक्त मामले पर कानून के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर, सभी संबंधित पक्षों को तामील सुनिश्चित करने और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के साथ-साथ अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का अवसर देने के बाद, और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इस मामले पर विचार करे और निर्णय दे, बशर्ते कि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो।

13. उपरोक्त अवलोकन के साथ, यह याचिका स्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम)

25 फ़रवरी 2026

वेद प्रकाश

Translated Version. Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।